



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 939]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 24, 2014/वैशाख 4, 1936

No. 939]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 24, 2014/VAISAKHA 4, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2014

का.आ. 1140(अ).—केंद्रीय सरकार की यह राय है कि केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में किए गए संशोधनों के प्रति निर्देश से मोटर यानों के लिए अतिसुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों की नयी प्रणाली की बाबत कतिपय मानक और प्लेटों के विनिर्माण या प्रदाय के लिए विनिर्माता या विक्रेता द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया को अधिसूचित करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है। अतः अब केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटर यान (नयी अतिसुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटर यान (नयी अतिसुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) (संशोधन) आदेश, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- मोटर यान (नयी अतिसुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2001 के खंड 4 के उपखंड (v) में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

## “सारणी

क्रम संख्या	परीक्षण अभिकरण का नाम	वर्ण
1.	आटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे	ए से एच
2.	केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	आई से पी
3.	यान अनुसंधान विकास स्थापन, अहमदनगर	क्यू से एस
4.	अंतरराष्ट्रीय आटोमेटिव प्रौद्योगिकी केंद्र, मनेसर	टी से वी”

[फा. सं. आर टी - 11028/6/2006 -एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण -- मूल आदेश, राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का. आ. 814 (अ) तारीख 22.8.2001 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना का.आ. 1041(अ) तारीख 16.10.2001 द्वारा संशोधित किया गया

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****ORDER**

New Delhi, the 24th April, 2014

**S.O. 1140(E).**—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to notify certain standards in respect of the New system of High Security Registration Plates for motor vehicles and the process used by a manufacturer or vendor for manufacturing or supplying plates with reference to the amendments made in the Central Motor Vehicles Rules, 1989. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Motor Vehicles (New High Security Registration Plates) Order, 2001, namely:-

1. (1) This Order may be called the Motor Vehicles (New High Security Registration Plates) (Amendment) Order, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Vehicles (New High Security Registration Plates) Order, 2001, in clause 4, in sub-clause (v), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

**“TABLE**

Sl. No.	Name of Test Agency	Alphabets
1.	Automotive Research Association of India, Pune	A to H
2.	Central Road Research Institute, New Delhi	I to P
3.	Vehicles Research Development Establishment, Ahmednagar	Q to S
4.	International Centre for Automotive Technology, Manesar	T to V”

[F.No.RT-11028/6/2006-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

**Note :** The Principal Order was published vide Gazette Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) notification number S.O. 814 (E), dated 22.08.2001 and it was subsequently amended vide notification S.O. 1041(E), dated 16.10.2001